



योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल

FA-6

SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE, BHOPAL

यात्रा अवकाष रियायत बिल / LEAVE TRAVEL CONCESSION BILL

खंड वर्ष से तक / For the Block year..... To

संदर्भ क्र./Ref. No.....

दिनांक / Date:

नाम / Name :	पद / Designation :
गृह नगर / Hometown /Any where:	Place of visit:
पे एवं ग्रेड-पे/एजीपी / Pay and GP/ AGP / Level:	

1. यात्रा अवकाष रियायत दावा के संबंध में परिवार के सदस्यों का विवरण / Particulars of members of family in respect of whom the Leave Travel Concession has been claimed.

अ. क्र. S. No.	नाम / Name(s)	उम्र / Age	संबंध / Relationship	अ. क्र. S. No.	नाम / Name(s)	उम्र / Age	संबंध / Relationship
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

2. शासकीय कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ की गई यात्रा का विवरण:— /Details of journey(s) performed by Government servant and the members of his/her family:-

प्रस्थान / Departure			आगमन / Arrival			दूरी कि.मी. में / Distance in Kms	यात्रा का तरीका / Mode of travel	आवास हेतु किस श्रेणी का उपयोग किया / Class of accommodation used	किराये की संख्या / No. of fares	किराया भुगतान / Fares paid
Dt.	Time	Place	Dt.	Time	Place					

3. अग्रिम राशि यदि आहरित की गई हो तो / Amount of advance, if any, drawn ₹.....

प्रमाणित किया जाता है / CERTIFIED THAT-

ऊपर दी गई जानकारी मेरे अनुसार सत्य व सही है / The information as given above is true to the best of my knowledge and belief.

- मेरा पति/मेरी पत्नी शासकीय कर्मचारी नहीं है/मेरा पति/मेरी पत्नी शासकीय कर्मचारी है लेकिन उन्होंने स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोई यात्रा रियायत वर्ष से में नहीं ली है। /That my husband/wife is not employed in Government service/ that my husband/wife is employed in Government service and the concession has not been availed of by him/ her separately for himself/herself or for any of the family members for the concerned block of yearsto.....
- मेरा पति/मेरी पत्नी जिनका मेरे द्वारा एलटीसी का दावा किया गया है वे में कार्यरत हैं। (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय आदि के नाम) उन्हें यात्रा रियायत की सुविधा उपलब्ध है किंतु वे अपने नियोक्ता से इस संबंध में दावा नहीं कर रहे हैं/नहीं करेंगे। एवं / That my husband/wife for whom LTC is claimed by me is employed in (name of the Public Sector Undertaking/ Corporation/ Autonomous Body etc.) which provides Leave Travel Concession facilities but he/ she has not preferred and will not prefer any claim in this behalf to his/her employer; and
- मेरा पति/मेरी पत्नी जिनका मेरे द्वारा एलटीसी का दावा किया गया है वह किसी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय या केन्द्रीय सरकार का कोई भाग या स्थानीय निकाय जो कि एलटीसी की सुविधा प्रदाय करते हैं के कर्मचारी नहीं है और न ही परिवार में अन्य सदस्यों द्वारा इनके लिये एलटीसी का दावा किया गया है। / That my wife/ husband for whom LTC is claimed by me is not employed in any Public Sector Undertaking/ Corporation/ Autonomous Body financed wholly or partly by the Central Government or a Local Body, which provides LTC facilities to its employees and their families.
- यात्रा अवकाष रियायत के लिये मैंने या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य ने वर्ष 20..... एवं 20 के मध्य दावे का भुगतान नहीं किया है have not submitted any other claim so far for Leave Travel Concession in respect of myself or my family members in respect of the block of two years 20..... and 20.....
अप मैंने पहले से ही मेरी/मेरी पत्नी के साथ बच्चों की, यात्रा के संबंध में यात्रा अवकाष यात्रा रियायत तैयार की है। यह दावा मेरे/मेरी पत्नी के साथ बच्चों के द्वारा की गई यात्रा के परिपेक्ष्य में किया गया है इनमें से पहले कोई भी यात्रा इस पक्ष द्वारा नहीं की गई है। /I have already drawn Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me/my wife withchildren. This claim is in respect of the journey performed by my wife/myself with children none of whom travelled with the party on the earlier occasion

दिनांक /Date.....

शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर / Signature of Government Servant

लेखा अनुभाग के द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत / Sanction Process by Accounts Section

स्वी. आ. क्र./S. O. No.	दिनांक / dt.	लेखा मद / Account Head
------------------------------	-------------------	------------------------------

Amount Claimed:.....

Amount Admissible:.....

Amount of advance (If any):.....

Amount Payable or Receivable:.....

कनि. / बहुप्रवीणता सहायक / लेखापाल
JA/MSA/Accountant

अनुभाग अधिकारी
Section Officer

सहायक कुलसचिव
Asst. Registrar

कुलसचिव
Registrar

निदेशक
Director

टिप्पणी (यदि कोई हो तो) / Remarks (If any)

संदर्भ हेतु निर्देश :- / Instructions for reference:-

- एलटीसी समायोजन दावा वापिसी यात्रा के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। / LTC adjustment claim is to be submitted within 30 days of return journey.
- अप्रयुक्त अग्रिम दावा (अगर कोई है) तो तुरंत उपस्थिति के दौरान संस्थान की लेखा शाखा में जमा होना आवश्यक है। यदि नियत दिनांक के बाद जमा किया जाता है तो वर्तमान जीपीएफ ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज दर (वर्तमान जीपीएफ ब्याज दर 8.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष है) सहित अप्रयुक्त अग्रिम दावा वसूल किया जावेगा। / Unutilized advance (if any) is to be deposited in the A/c department immediately on joining office, even if claim is submitted at a later date. Penal interest @ 2% above GPF interest rate (Present GPF int. rate being 8.7%) p.a. will be charged on unutilized advance from date of drawl to date of refund.
- सभी पत्रक क्रमानुसार ऊपर दाहिने कोने और पृष्ठ संख्या के संदर्भ में गिने जा सकने के लिए समायोजन बिल पर मदों के साथ दिया जायेगा। / All sheets to be serially numbered on top right hand corner and reference of page number be given alongside items on the Adjustment bill.
- बोर्डिंग पास आवश्यक रूप से हवाई यात्रा के मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। / Boarding passes must mandatorily be submitted in case of air travel.